भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1433

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

शराब से संबंधित अपराध

†1433. श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यौन संबंधी अपराधों पर शराब के प्रभाव को कोई आकलन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या अनेक संगठनों ने सरकार से ऐसे अपराधों को रोकने के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अनेक राज्य अपने राज्यों में अपराधों को रोकने के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी आगे आए हैं;
(ड.) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे राज्यों को सहायता प्रदान करने का है; और
(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) और (ख): यौन संबंधी अपराधों पर शराब के प्रभाव का आकलन करने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग): गृह मंत्रालय को ऐसे अपराधों को नियंत्रित करन के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) से (च): 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है। इसके अतिरिक्त, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय होने के कारण कानून और व्यवस्था के रखरखाव संबंधी कार्रवाई मुख्यतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है।